

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्थाना./2020-21 दिनांक-02.02.2021 के तहत श्री ओम प्रकाश टेलर, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि, लालास, नागौर का स्थानान्तरण राउमावि, आना-कोटडी, भीलवाडा किया गया। श्री ओम प्रकाश टेलर द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील सं.-1141/2021 ओम प्रकाश टेलर बनाम सरकार दायर की गई।

अपील संख्या-1141/2021 में माननीय अधिकरण निर्णय दिनांक-09.02.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री ओम प्रकाश टेलर विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सक्षम प्राधिकारी प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निरस्तारित करने और ऐसे निरस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री ओम प्रकाश टेलर ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं डायटिटीज से पीड़ित होने, परीक्षा परिणाम सदैव उच्च रहना, स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान 400 किमी. होने के आधार पर अपना स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत लालास में पदस्थापित करने अन्यथा अन्य रिक्त पद पर पदस्थापन 1-राउमावि, हुडील-कुचामनसिटी, नागौर, 2-राउमावि, लोराल छोटी, धोद, सीकर, 3-राउमावि, चोलीखा-डीडवाना, नागौर, 4- अलखपुरा, नागौर, 5- श्यामगढ, नागौर, 6-मुआना, नागौर, 7-खाटूश्यामजी, सीकर, 8-तोषीणा, नागौर, 9-यांगवा, नागौर, 10-परवतसर, नागौर, 11-बागावास, जयपुर, 12-हिगोनिया, जयपुर 13-मलिकपुर, जयपुर में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में परीक्षण व मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/रावाउमावि में पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के किये गये पदस्थापन में सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्वारा खारिज किया जाकर निरस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./ओमप्रकाशटेलर/1141/2021/8 दिनांक- 15/03/2021

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, नागौर/भीलवाडा
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान